सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस सं0: 2641 / 1014 / 2014 दिनांक: 29.05.2017

श्री सुखबीर सिंह
गांव एवं डाकखाना – मदाना R1353
कलॉ, जिला – झज्जर, हरियाणा – 124102 वादी

बनाम

उत्तर रेलवे
(द्वारा) मुख्य कार्मिक अधिकारी R1354
रेलवे भर्ती सेल, लाजपत नगर, नई दिल्ली। प्रतिवादी

सुनवाई की तिथि : 08.05.2017 अपराह्न 1500 बजे।

उपस्थित :

- प्रार्थी – प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित
- श्री अजय राज, सहायक कार्मिक अधिकारी, भर्ती, मध्य रेल, मुंबई एवं श्री सुरजीत सिंह राणा, सहायक कार्मिक अधिकारी, भर्ती, उत्तर रेलवे – प्रतिवादी की ओर से।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता श्री सुखबीर सिंह ने रेलवे द्वारा वाणिज्यिक क्लर्क में ज्वाईनिंग न करने से संबंधित शिकायत – पत्र दिनांक 21.08.2014 निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा जायेगा के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की।

2. प्रार्थी का अपने शिकायत में कहना था कि उन्होंने रेलवे भर्ती सेल, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित रोजगार नोटिस एचपीबी / 706 / आरटी / डी / सी / पीएचपी / आईएसआरडी–2012 के अन्तर्गत वाणिज्यिक क्लर्क के पद हेतु आवेदन किया था। उन्होंने लिखित परीक्षा भी उत्तीर्ण की और उन्हें प्रतीक्षा सूची में पहले स्थान पर रखा दिया गया। प्रार्थी का आगे कहना है कि एक दूसरे अभ्यर्थी ने उसके अन्तिम रूप से चयन होने के बाद भी रेलवे में नियुक्ति नहीं ली और पद खाली पड़ा है इसके बावजूद भी उन्हें नियुक्ति के लिए बुलावा नहीं आया।

3. मामला अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत प्रतिवादी से दिनांक 17.03.2015 को लिया गया। परन्तु प्रतिवादी से कोई उत्तर / अपना पक्ष / कृत कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर सुनवाई 08.05.2017 को निर्धारित की गई।

4. शिकायतकर्ता आज सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय ने उनकी अनुपस्थित को गंभीर चिंता के साथ नोट किया कि वादी के द्वारा घोर उपेक्षा दिखाई गई है। वादी ने सुनवाई में भाग लेने के लिए न तो अपनी असमर्थता को बताया और न ही मामले में अपना उत्तर भेजा।

5. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि का कहना है कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में मध्य रेलवे की अधिसूचना का हवाला दिया था इसलिए उन्होंने उक्त मामला मध्य रेल, मुम्बई को भेज दिया था। मध्य रेल के कार्यालय से उनको बताया गया कि श्री सुखबीर सिंह कभी भी मध्य रेलवे द्वारा विज्ञापित अधिसूचना की परीक्षा में शामिल नहीं हुए।

6. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता से उनके फोन नं: 09992383425 पर बात की गई है एवं उनसे सुनवाई में उपस्थित न होने का कारण एवं प्रतिवादी की बात कि सत्यता की पुष्टि हेतु पूछा जिसके उत्तर में उन्होंने सूचित किया कि उन्हें उक्त पद पर रेलवे में नौकरी मिल गई है एवं वह सतुंष्ट है।

7. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि श्री सुखबीर सिंह, शिकायतकर्ता ने केन्द्रीय न्यायाधिकरण प्राधिकरण, नई दिल्ली में ओ.ए. नं: 3873/2014 फाईल किया था उन्होंने यह भी सूचित किया कि अब प्रार्थी रेलवे में नियुक्ति पा चुका है।

8. सुनवाई के दिन मध्य रेलवे से सहायक कार्मिक अधिकारी, भर्ती मध्य रेलवे उपस्थित हुए एवं उन्होंने पत्र सं: पी/सीआर/एचक्यू/आरईसी/122/कोर्ट केस/सुखबीर सिंह. दिनांक 05.05.2017 का उत्तर पेश किया जिसे रिकार्ड पर ले लिया गया। उनका कहना है कि अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, उत्तर रेलवे ने मुख्य कार्मिक अधिकारी को पत्र दिनांक 13.04.2017 के साथ इस न्यायालय के सुनवाई के नोटिस दिनांक 05.04.2017 की प्रति भेजी। अतः वह मध्य रेलवे का मामले में पक्ष रखने हेतु उपस्थित हुए है।

9. सुनवाई के दौरान, मुख्य आयुक्त न्यायालय में केस रिकार्ड जाँचा और पाया कि यद्यपि मामला उत्तर रेलवे से ही संबंधित था, परन्तु शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत के साथ मध्य रेलवे एवं उत्तर रेलवे दोनों से संबंधित दस्तावेज भेजे थे।

10. उपरोक्त से यह पाया कि उत्तर रेलवे द्वारा शिकायतकर्ता को उक्त पद पर चयनित कर लिया गया था एवं वह पिछले दो वर्षों से रेलवे में कार्यरत है। अतः मामले में इस न्यायालय द्वारा आगे हस्तक्षेप करना उचित नहीं है एवं यह मामला यहीं बंद किया जाता है।

(डॉ कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त